भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 41

उत्तर देने की तारीख : 02.02.2023

एमएसएमई को ऋण सुविधा

41. श्री मितेष पटेल (बकाभाई):
श्रीमती शारदा अनिल पटेल:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए ऋण सुविधाओं को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में एमएसएमई को प्रदान किए गए ऋण की राशि का वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में एमएसएमई को ऋण की उपलब्धता बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) और (ख) : भारत सरकार द्वारा देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) को बाधारहित ऋण सुविधा दिये जाने में वृद्धि के लिए कई योजनाएं चलाई जाती हैं। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:

i. सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम;
ii. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी);
iii. एमएसएमई सहित व्यवसाय के लिए 5 लाख करोड़ रुपए का आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस)।

(ग) : भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की रिपोर्ट अनुसार, देश में पिछले तीन वर्षों में, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा एमएसएमई क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण प्रवाह का वर्ष तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

****

अनुबंध-I

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 41 जिसका उत्तर 02.02.2023 को दिया जाना है, के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा एमएसएमई क्षेत्र को बकाया ऋण (राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार)							
खातों की संख्या लाख में, बकाया राशि करोड़ रुपए में							
क्र.सं.	**राज्य/केंद्र शासित प्रदेश**	**31 मार्च, 2020 तक**		**31 मार्च, 2021 तक**		**31 मार्च, 2022 तक**	
		खातों की संख्या	**बकाया राशि**	**खातों की संख्या**	**बकाया राशि**	**खातों की संख्या**	**बकाया राशि**
1	अंडमान	0.07	718.93	0.08	786.59	0.07	769.05
2	आंध्र प्रदेश	10.30	57234.34	13.80	62878.79	13.26	71877.26
3	अरुणाचल प्रदेश	0.16	812.22	0.18	906.96	0.18	1014.15
4	असम	14.56	20259.55	17.86	22698.71	5.94	20837.48
5	बिहार	22.93	29784.55	25.16	33303.92	10.62	34002.47
6	चंडीगढ़	0.69	11074.47	0.51	9729.48	0.41	11968.00
7	छत्तीसगढ़	7.04	23107.35	7.42	25988.89	4.43	31919.39
8	दादरा एवं नगर हवेली	0.09	764.20	0.11	1186.64	0.06	1160.42
9	दमन एवं दीव	0.04	542.75	0.03	361.80	0.03	674.50
10	दिल्ली	5.54	108136.70	8.14	108796.40	4.29	130604.29
11	गोवा	0.82	4802.98	0.87	5578.65	0.68	5700.10
12	गुजरात	14.36	128908.09	14.63	146872.76	10.29	185075.74
13	हरियाणा	8.14	55912.05	8.64	62457.67	6.57	80103.24
14	हिमाचल प्रदेश	1.42	7968.07	1.83	9830.08	1.64	11665.19
15	जम्मू एवं कश्मीर	3.11	14656.28	3.90	16354.21	4.15	16694.63
16	झारखंड	12.05	21360.57	13.49	23839.56	6.71	26257.14
17	कर्नाटक	24.35	90853.38	24.32	106007.59	15.48	126575.65
18	केरल	14.06	59657.07	15.46	60200.80	14.49	67543.53
19	लक्षद्वीप	0.01	20.16	0.02	22.65	0.01	25.93
20	मध्य प्रदेश	21.70	57266.73	23.68	63009.09	15.85	72347.61
21	महाराष्ट्र	38.54	303670.86	39.94	352894.81	26.91	339446.16
22	मणिपुर	0.79	1066.15	0.89	1153.81	0.45	1159.81
23	मेघालय	0.46	1130.63	0.53	1237.84	0.25	1334.84
24	मिजोरम	0.24	605.75	0.29	697.14	0.15	705.42
25	नागालैंड	0.39	775.10	0.44	863.59	0.17	880.93
26	ओडिशा	19.49	33983.61	20.89	36311.11	12.03	39905.15
27	पुडुचेरी	1.48	3051.96	1.17	3192.45	0.92	3456.85
28	पंजाब	9.45	53412.42	9.71	59272.69	7.38	70967.23
29	राजस्थान	14.18	63411.14	16.27	76129.31	10.58	95615.51
30	सिक्किम	0.26	900.51	0.33	813.04	0.18	808.66
31	तमिलनाडु	43.41	181634.98	34.21	191350.67	39.07	219118.87
32	तेलंगाना	6.39	62018.79	9.79	66334.66	7.37	83155.95
33	त्रिपुरा	2.23	2689.29	3.05	3116.69	0.61	2168.20
34	उत्तराखंड	4.91	33662.37	10.43	28751.41	2.56	17591.92
35	उत्तर प्रदेश	28.33	88733.16	29.58	105215.15	24.33	136723.44
36	पश्चिम बंगाल	52.17	88995.02	62.53	95779.19	16.51	101202.28
कुल		**384.18**	**1613582.17**	**420.19**	**1783924.80**	**264.67**	**2011056.98**
स्रोत: आरबीआई							